55

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2019 / 786 दिनांक : 10-10-19

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 25.09.2019 को सायं काल 03:30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए:–

1.	श्री भास्कर ए.सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
3.	श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता–प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एम.सी.उपाध्याय	अति0मु0अभि0–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
5.	श्री सीताराम	अति0मु0अभि0–तृतीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
6.	डॉ0 प्रभा व्यास	मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर	सदस्य, सचिव

बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :–

1. श्री एस.एल.सेठी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. श्री आर.सी.जैन, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
3. श्री सर्वजीत सिंह, उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	विगत दिनांक 20.08.2018 को आयोजित हुई सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20.08.18 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	CEM
2	विगत दिनांक 20.08.2018 को आयोजित हुई सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट बाबत।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20.08.18 की क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया।	CEM
3	प्रताप नगर, सेक्टर–3, जोन 32 में भूखण्ड संख्या–बी, क्षेत्रफल 5504 व.मी. संस्थानिक परियोजनार्थ में से 4000 व.मी. भूमि आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था के आवेदन पत्र एवं प्रस्तावित भूमि का मानचित्र मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाकर 15 दिवस में आक्षेप प्राप्त किये जावें, तत्पश्चात् प्रपत्रों के परीक्षण उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	DHC-I, Jaipur

4	सेक्टर–3, इंदिरा गांधी नगर, जयपुर में प्राथमिक विद्यालय हेतु 1984 व.मी. एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु लगभग 2707 कुल 4691 व.मी. भूमि का एजेण्डा पी.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था के आवेदन पत्र एवं प्रस्तावित भूमि का मानचित्र मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाकर 15 दिवस में आक्षेप प्राप्त किये जावें, तत्पश्चात् प्रपत्रों के परीक्षण उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	DHC-III, Jaipur
5	मानसरोवर योजना के सेक्टर–7 अरावली मार्ग पर स्थित 3120 व.मी. भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन से संस्थागत का प्रस्ताव मण्डल की 142वीं परियोजना समिति की बैठक दिनांक 23.09.2013 में अतिरिक्त एजेण्डा बिंदु संख्या 4 में लिया गया है। 3120 व.मी. भूमि में से 1120 व.मी. भूमि रोजरी पब्लिक स्कूल एज्यूकेशनल सोसायटी को आवंटित कर दी गई है। शेष 2000 व.मी. भूमि महाविद्यालय हेतु एजेण्डा पी.ए.सी. में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था के आवेदन पत्र एवं प्रस्तावित भूमि का मानचित्र मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाकर 15 दिवस में आक्षेप प्राप्त किये जावें, तत्पश्चात् प्रपत्रों के परीक्षण उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	DHC-II, Jaipur
6	मण्डल की रंगबाड़ी योजना में आवंटित आवास संख्या 4–एफ–33 (कॉर्नर) के पास उपलब्ध 85.20 व.मी. अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन के सम्बंध में एजेण्डा पी.ए.सी. में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर मण्डल की रंगबाड़ी योजना, कोटा में आवंटित आवास संख्या 4–एफ–33 (कॉर्नर) के पास उपलब्ध 85.20 व.मी. अतिरिक्त भू–पट्टी का आवंटन कार्यालय आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.01.09 के बिन्दु सं. vii के अनुसार प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि लेते हुए किया जायेगा एवं आदेश क्रमांक 301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार अनाधिकृत निर्माण होने पर वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूली जावे, परन्तु यह शास्ति अनाधिकृत निर्माण के नियमन के लिये नहीं है।	DHC-Kota
7	मण्डल की महावीर नगर तृतीय, कोटा में आवंटित आवास संख्या 7–एच–1 (कॉर्नर) के पास उपलब्ध 48.675 व.मी. भू–पट्टी आवंटन के सम्बंध में एजेण्डा पी.ए.सी. में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर मण्डल की महावीर नगर तृतीय, कोटा में आवंटित आवास संख्या 7–एच–1(कॉर्नर) के पास उपलब्ध 48.675 व.मी. भू–पट्टी का आवंटन कार्यालय आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.01.09 के बिन्दु सं. vii के अनुसार प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि लेते हुए किया जायेगा एवं अनाधिकृत निर्माण होने पर वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूली जावे, परन्तु यह शास्ति अनाधिकृत निर्माण के नियमन के लिये नहीं है।	DHC-Kota

8	मण्डल की महावीर नगर तृतीय, कोटा में आवंटित आवास संख्या 9–डी–13 (कॉर्नर) के पास उपलब्ध 21.37 व.मी. भू–पट्टी आवंटन के सम्बंध में एजेण्डा पी.ए.सी. में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर मण्डल की महावीर नगर तृतीय, कोटा में आवंटित आवास संख्या 9–डी–13 (कॉर्नर) के पास उपलब्ध 21.37 व.मी. भू–पट्टी का आवंटन कार्यालय आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.01.09 के बिन्दु सं. vii के अनुसार प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि लेते हुए किया जायेगा एवं अनाधिकृत निर्माण होने पर वर्तमान आरक्षित दर का 25 प्रतिशत शास्ती वसूली जावे, परन्तु यह शास्ति अनाधिकृत निर्माण के नियमन के लिये नहीं है।	DHC-Kota
9	आवास संख्या 194/18 में उपलब्ध 15 व.मी. भू–पट्टी आवंटन के सम्बंध में एजेण्डा पी.ए.सी. में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में आवास संख्या 194/18 में उपलब्ध 15 व. मी. भू–पट्टी का आवंटन कार्यालय आदेश क्रमांक 1443 दिनांक 04.01.09 के बिन्दु सं. vii के अनुसार प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि लेते हुए किया जावें एवं अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा तथा पेड–पौधे लगाने के उपयोग में लिया जावे।	DHC-I, Jaipur

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

<u>प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता–(मु0)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति0मु0अभि0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, अति0 मुख्य नगर नियोजक, राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), राज0आ0मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक